

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी  
(नियम 26)  
कम्मू खां  
किस्म मुकदमा राजस्व वाद पत्र  
धारा 88,89 RTA, 136 LRA

बनाम  
नंबर..... 26 .....

रणवीर सिंह वगै. स्टेट

मुकाम छतरगढ

सन - 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अन्तर्गत जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
01/8/20	यह राजस्व वाद पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य द्वारा पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी आईन्दा दिनांक ..... 13/8/20 ..... को पेश हो।	
13/8/20	उपखण्ड अधिकारी छतरगढ तलबी दिनांक 16/9/20 को पेश हो। रीडर	
16/9/2020	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वाद पत्र के समर्थन के सहजती स्वरूप अपने-अपने नाम से 50/- रुपये के नोन इन्डिफिनेट स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली रहे। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 4 के अलग से बिन्दुवार इकवाली जबाब दावा पेश कर वाद पत्र स्वीकार करने का निर्वेदन किया। चूंकि पत्रावली	

लक्ष्मी  
र. न. पु. न. 1/3  
CA.

में वादी व प्रतिवादीगणों के  
मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा  
है। निर्णय अलग से लिखवाया  
जाकर संलग्न पत्रावली जावे।

निर्णय स्तरे इजलास (मुनाम) गमा  
पत्रावली फैसल सुमार होकर नख्ब  
से कग की जाकर बाद तरतीब तममील  
जावा दाखिल दफतर है।

अपखण्ड अधिकारी  
उत्तरगढ़ (वीकानेर)